न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मेंजारी हुए
	गवदया ...... बनाम ...... अडूलराम मु.नं. 70/22 प.व.	
	13.2.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने के कारण आदेश नहीं लिखवाया जा सका। पत्रावली हुक्मनुसार वास्ते आदेश दिनांक 6/3/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	
	6/3/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने के कारण आदेश नहीं लिखवाया जा सका। पत्रावली हुक्मनुसार वास्ते आदेश दिनांक 28.3.25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	
	28/3/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर रूल वाद के साथ जमा हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
70/22	27.02.18	28.03.25

बउनवान

1. गब्दया पुत्र श्रीया, निवासी ढिगारिया भीम, तहसील बैजूपाडा, दौसा।

..प्रार्थी

बनाम

1. अडतराम पुत्र मूल्या, निवासी ढिगारिया भीम, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
2. बत्तू पुत्र मंगल्या, निवासी ढिगारिया भीम, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
3. मु. दुर्गी पत्नी मंगल्या, निवासी ढिगारिया भीम, तहसील बैजूपाडा, दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री धर्म सिंह राजपूत।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि भूमि मुतदाविया ग्राम ढिगारिया भीम तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में खेवट खतौनी सं. 27 के खसरा सं. 1037 रकबा 0.33 हैक्टे., 1038 रकबा 0.30 हैक्टे. कुल किता 2 कुल रकबा 0.63 हैक्टे. स्थित है। भूमि मुतदाविया प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। अप्रार्थीगण का भूमि मुतदाविया से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। अप्रार्थीगण, प्रार्थी की कमजोरी का नाजायज फायदा उठाकर जबरन उक्त भूमि मुतदाविया पर अपना अवैध कब्जा करने पर आमादा हो रहे हैं। अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि मुतदाविया में जबरन अवैध कब्जा करने की नीयत से नींव खोदकर निर्माण करने पर आमादा हो रहे है। प्रार्थी की असहाय व कमजोरी का नाजायज फायदा उठाकर झगडा–फिसाद मारपीट करने पर आमादा है। प्रार्थी को भूमि मुतदाविया से जबरन लाठी के बल पर बेदखल कर अपना नाजायज जबरिया कब्जा करने पर आमादा है। दिनांक 16.02.18 को अप्रार्थीगण कई कारीगर व बेलदारो को लेकर भूमि मुतदाविया पर आये व भूमि में जबरिया कब्जे की नीयत से पुख्ता निर्माण करने की गरज से जबरन नींव खोदना शुरू कर दिया। प्रार्थी ने मना किया तो प्रार्थी को ऐलानियां धमकी दी कि भूमि पर अपना नाजायज जबरिया पुख्ता निर्माण कर अनाधिकृत कब्जा करके शीघ्र ही उक्त भूमि से प्रार्थी को वंचित करके रहेगें तथा काश्त भी नहीं करने देगें। यदि अप्रार्थीगण अपने नाजायज मकसद की पूर्ति में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को नुकसान अजीम, नाकाबिले तायून व तकमीना होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर से संभव नहीं हो सकेगी व गैर जरूरी किस्म के मुकदमात दरमियान फरीकेन चल पडेगे जो बाय से बर्बादी प्रार्थीगण होगें। प्रार्थी ने भूमि

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

तारीख
हुक्म

मुतदाविया का सीमाज्ञान दिनांक 22.11.17 को तहसीलदार द्वारा करवा लिया है। उसके बावजूद अप्रार्थीगण, प्रार्थी के कब्जे, काश्त में आये दिन मजाहमत पैदा करते है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से पाबन्द फरमाया जावे कि भूमि मुतदाविया में किसी भी प्रकार का खाम या पुख्ता निर्माण करने, पेड–पौधों को खोदने, काटने से, प्रार्थी के कब्जे, काश्त में मजाहमत पैदा करने से स्वयं, एजेन्टो, नौकरो, घरवालो या अन्य मददगारान के दवामि तौर पर पाबन्द रहे। प्रार्थी के कब्जे, काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा करने से स्वयं नौकरो, एजेन्टो, घरवालो से बाज व मुमतन्हा रहें।

प्रार्थी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। प्रार्थी अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध दिनांक 27.02.18 को इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि अप्रार्थीगण भूमि मुतदाविया आराजी खसरा सं. 1037, 1038 ग्राम ढिगारिया भीम तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में निर्माण न करे।

अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। दिनांक 15.03.22 को उक्त पत्रावली में मूल वाद, वादी की अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज होने से उक्त पत्रावली को खारिज किया जाकर दिनांक 27.02.18 द्वारा जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाकर पत्रावली का निस्तारण कर दिया गया। दिनांक 31.03.22 को प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 पेश कर दिनांक 15.03.22 के आदेश को अपास्त फरमाने व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा को रिस्टोर करने हेतु निवेदन किया गया जिसे दिनांक 02.04.22 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस तामील होने के बाबजूद अप्रार्थीगण की ओर से न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रार्थी पक्ष की एकपक्षीय बहस सुनी। प्रार्थीपक्ष द्वारा दिनांक 15.03.22 के आदेश को अपनी अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज होने व अपनी अनुपस्थिति का संतोषप्रद कारण बताने पर प्रार्थना पत्र दिनांक 04.08.22 को स्वीकार किया जाकर मूल प्रार्थना पत्र को पुनः दर्ज करने व जवाब प्रार्थना पत्र हेतु नोटिस जारी किये गये नोटिस तामील हेतु निर्देशित किया। नोटिस की तामील के बावजूद अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे जिनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर इनके जवाब का अवसर बन्द किया।

प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का, एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थी पक्ष की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

मुतदाविया का सीमाज्ञान दिनांक 22.11.17 को तहसीलदार द्वारा करवा लिया है। उसके बावजूद अप्रार्थीगण, प्रार्थी के कब्जे, काश्त में आये दिन मजाहमत पैदा करते है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से पाबन्द फरमाया जावे कि भूमि मुतदाविया में किसी भी प्रकार का खाम या पुख्ता निर्माण करने, पेड–पौधों को खोदने, काटने से, प्रार्थी के कब्जे, काश्त में मजाहमत पैदा करने से स्वयं, एजेन्टो, नौकरो, घरवालो या अन्य मददगारान के दवामि तौर पर पाबन्द रहे। प्रार्थी के कब्जे, काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा करने से स्वयं नौकरो, एजेन्टो, घरवालो से बाज व मुमतन्हा रहें।

प्रार्थी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। प्रार्थी अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध दिनांक 27.02.18 को इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि अप्रार्थीगण भूमि मुतदाविया आराजी खसरा सं. 1037, 1038 ग्राम ढिगारिया भीम तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में निर्माण न करे।

अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। दिनांक 15.03.22 को उक्त पत्रावली में मूल वाद, वादी की अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज होने से उक्त पत्रावली को खारिज किया जाकर दिनांक 27.02.18 द्वारा जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाकर पत्रावली का निस्तारण कर दिया गया। दिनांक 31.03.22 को प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 पेश कर दिनांक 15.03.22 के आदेश को अपास्त फरमाने व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा को रिस्टोर करने हेतु निवेदन किया गया जिसे दिनांक 02.04.22 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस तामील होने के बाबजूद अप्रार्थीगण की ओर से न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रार्थी पक्ष की एकपक्षीय बहस सुनी। प्रार्थीपक्ष द्वारा दिनांक 15.03.22 के आदेश को अपनी अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज होने व अपनी अनुपस्थिति का संतोषप्रद कारण बताने पर प्रार्थना पत्र दिनांक 04.08.22 को स्वीकार किया जाकर मूल प्रार्थना पत्र को पुनः दर्ज करने व जवाब प्रार्थना पत्र हेतु नोटिस जारी किये गये नोटिस तामील हेतु निर्देशित किया। नोटिस की तामील के बावजूद अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे जिनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर इनके जवाब का अवसर बन्द किया।

प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का, एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थी पक्ष की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के अनुसार, ग्राम ढिगारिया भीम तहसील बैजूपाडा में स्थित भूमि मुतदाविया प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का एकल खातेदार है, इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। वाद लम्बित रहने की प्रक्रिया के दौरान, भूमि मुतदाविया में यदि अप्रार्थीगण के द्वारा किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया जाता है तो इससे वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद बढ़ना संभावित है। इस कारण सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। भूमि मुतदाविया में अप्रार्थीगण प्रार्थी के हिस्से पर कब्ज़ा करके प्रार्थी को बेदखल कर पुख्ता निर्माण कर लेते हैं तो प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव होगा। इससे मौके की स्थिति में बदलाव हो जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक भूमि मुतदाविया को अप्रार्थीगण द्वारा दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुंचाने की स्थिति से बचाने के लिये, वाद बहुलता तथा मौके पर स्थिति में बदलाव से सम्भावित विवाद रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम ढिगारिया भीम तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित भूमि मुतदाविया **खसरा सं. 1037, 1038 कुल रकबा 0.63 हैक्टे.** के सम्बन्ध में, अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णित होने तक, भूमि मुतदाविया में किसी भी प्रकार का खाम या पुख्ता निर्माण करने, पेड–पौधों को खोदने, काटने से, प्रार्थी के कब्जे, काश्त में

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

मजाहमत पैदा करने से स्वयं, एजेन्टो, नौकरो, घरवालो या अन्य मददगारान के दवामि तौर पर पाबन्द रहे। प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा करने से स्वयं नौकरो, एजेन्टो, घरवालो से बाज व मुमतन्हा रहें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 28.03.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) सत्यमेव जयते

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)